

प्रेषक,

विवेक स्वरूप,
वित्त नियंत्रक
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रेषित,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
गढ़वाल (पौड़ी)/गोपेश्वर (चमोली)/रूद्रप्रयाग/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल/अल्मोड़ा/
चम्पावत/पिथौरागढ़/नई टिहरी/हरिद्वार/उत्तरकाशी।

संख्या 857 /ल0सि0/बजट-आवंटन(भूजल संरक्षण/संवर्द्धन)/2024-25 दिनांक 23 अगस्त, 2024
विषय:- भूजल संरक्षण/संवर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में
घनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या संख्या E-57023/334/II(3)/2024-03(16)/
2022 दिनांक 09-08-2024 के द्वारा वर्ष 2024-25 में भूजल संरक्षण/संवर्द्धन हेतु पुनर्भरण व
संग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु0 188.00 लाख की धनराशि शासनादेश में वर्णित कार्यों हेतु अनुदान
संख्या-20 के लेखाशीर्षक 4702-00-101-03-00 के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में मुख्य
अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग के अनुमोदनोपरान्त, उक्त धनराशि सन्दर्भित शासनादेश में
निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित खण्डों को निम्नानुसार निर्गत की जा रही है :-

अनुदान संख्या-20 लेखाशीर्षक 4702-00-101-03-00 (धनराशि लाख रु0 में)

DDO कोड	कार्यालय का नाम	कोषागार	निर्गत धनराशि
2235	लघु सिंचाई खण्ड पौड़ी	गढ़वाल (पौड़ी)	19.07
2235	लघु सिंचाई खण्ड चमोली	गोपेश्वर (चमोली)	19.90
2235	लघु सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	13.08
2235	लघु सिंचाई खण्ड ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	19.95
2235	लघु सिंचाई खण्ड नैनीताल	नैनीताल	17.76
2235	लघु सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	13.35
2235	लघु सिंचाई खण्ड चम्पावत	चम्पावत	16.39
2235	लघु सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	20.00
2235	लघु सिंचाई खण्ड टिहरी	नई टिहरी	19.32
2235	लघु सिंचाई खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	9.18
2235	लघु सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	20.00
योग-			188.00

(रूपये एक करोड़ अठ्ठासी लाख)

अतः उक्तानुसार सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी को रु0 188.00 लाख मात्र की
धनराशि का निर्गमन संलग्न अलाटमेन्ट आई0डी0 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालय के निवर्तन पर व्यय हेतु
किया जाता है।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय

Vishwanath

(विवेक स्वरूप)

वित्त नियंत्रक

क्रमशः 2